

// 1 // दाण्डिक प्रकरण क्रमांक-166 / 15

Filling num- 235103002902015

न्यायालय-साजिद मोहम्मद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी
जिला अशोकनगर म0प्र0

दाण्डिक प्रकरण क्रमांक-166 / 15

संस्थित दिनांक-30.07.2015

Filling num- 235103002902015

म0प्र0 राज्य द्वारा:- आरक्षी केन्द्र चंदेरी
जिला-अशोकनगर (म0प्र0)

--- अभियोगी

विरुद्ध

1. प्रदीप पुत्र तुलसीराम साहू उम्र 22 साल
2. ब्रह्माबाई पुत्र तुलसीराम साहू उम्र 40 साल
निवासीगण- ग्राम लुधारा थाना चंदेरी
जिला अशोकनगर म0प्र0

-----अभियुक्तगण

: : निर्णय : :

(आज दिनांक-23.03.2017 को घोषित किया गया)

01- आरोपीगण के विरुद्ध धारा भा0द0वि0 की धारा 498ए, 323 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कर आरोप है कि फरियादी रानी को उसकी शादी के 2 महीने बाद से उसके पति या पति के नातेदार होते हुये फरियादी से दहेज में मोटरसाईकिल व सोफा-सेट की मांग करके उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर क्रूरता कारित की तथा दिनांक 07.06.2015 को समय करीब 7-8 बजे थाना चंदेरी अंतर्गत ग्राम लुधारा में फरियादी के घर पर फरियादी रानी की मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की।

02- प्रकरण में अवलोकनीय है कि दिनांक 09.03.2017 को फरियादिया रानी एवं आरोपीगण के मध्य राजीनामा हो जाने से आरोपी प्रदीप, ब्रह्माबाई को भा.द.वि की धारा 323 के आरोप से दोषमुक्त किया गया।

03- अभियोजन का पक्ष संक्षेप में है कि फरियादिया रानी ने अपनी मां रामवती, मौसेरा भाई अरविन्द, रूपेश कुमार के साथ थाना चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि 2 साल पहले गर्मियों में उसकी शादी प्रदीप साहू लुधारा के साथ हिन्दू रीति

रिवाज से हुई थी। उसके 6 माह का लडका है। शादी के बाद उसके पति व सास अच्छे से दो माह तक रखा, उसके बाद उसे खाने पीने पहनने के लिये परेशान रखने लगे। फरियादिया रानी ने यह बात अपनी मम्मी को मायके में बताई थी, उसकी मां ने कहा मैं उन लोगो को समझा दुंगी वो तुझे अच्छे से रखेगे। दिनांक 07.06.2015 को शाम करीब 7-8 बजे उसका पति प्रदीप और सास ब्रह्माबाई कहने लगे कि अपने मायके से मोटरसाईकिल सोफा लेकर आओ, तब फरियादिया ने कहा कि उसके मम्मी पापा की हैसियत नहीं है, गरीब है इसलिये सम्मेलन से शादी की है। इसी बात पर उसे आरोपी प्रदीप ने उसे गरम फुकनी से मारा जिससे उसे डेरे हाथ की गदेली भुजा, उपर वाले होठ, डेरे हाथ के दडा पर चोट लगी। सास ने डण्डा मारा जिससे उसे हाथ पैर में मुंदी चोट आई। घटना के समय उसकी बहन शिवानी थी जिसने घटना देखी थी और बचाया था। घटना के बाद उसके पति उसे मायके छोड़ गये थे। पुलिस ने अन्वेषण के दौरान घटना स्थल का नक्शामौका बनाया। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये तथा अन्वेषण की अन्य औपचारिकताएं पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

04— अभियुक्तगण को आरोपित धाराओं के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्तगण द्वारा अपराध किये जाने से इंकार किया गया तथा विचारण चाहा गया। अभियुक्त परीक्षण किये जाने पर स्वयं को निर्दोश होना तथा बचाव में कोई साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

05— प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न हैं कि :-

1. क्या अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 07.06.2015 को समय करीब 7-8 बजे थाना चंदेरी अंतर्गत ग्राम लुधाया में फरियादी रानी को उसकी शादी के 2 महीने बाद से उसके पति या पति के नातेदार होते हुये फरियादी से दहेज में मोटरसाईकिल व सोफा-सेट की मांग करके उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर क्रूरता कारित की ?

: : सकारण निष्कर्ष : :

06— अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपों को संदेह से परे प्रमाणित करने का भार अभियोजन में निहित होता है। घटना के संबंध में फरियादिया रानी अ0सा01 द्वारा उसके न्यायालयीन कथनों में बताया कि वह आरोपीगण को जानती है। आरोपी प्रदीप उसका पति है तथा ब्रह्मा बाई उसकी सास है। घटना करीब एक साल पहले की है। घटना दिनांक को उसके पति व उसकी सास से खाना बनाने को लेकर कहा सुनी और वाद विवाद हो गया था और गुस्से में आकर उसने अपने पति प्रदीप और सास ब्रह्मा बाई की वाद विवाद वाली बात को लेकर थाना चंदेरी में रिपोर्ट लेख कराई थी जो प्र.पी. 1 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस घटना स्थल पर आई और घटना स्थल का मानचित्र प्र.पी. 2 तैयार किया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। कहा सुनी वाद विवाद में उसे हल्की चोट आ गई थी जिसके संबंध में उसका चंदेरी सरकारी

अस्पताल में इलाज हुआ था। इसके अलावा आरोपीगण ने उसके साथ कोई घटना कारित नहीं की। घटना के समय उसकी बहन शिवानी भी मौजूद थी।

07— अभियोजन अधिकारी द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया कि रानी अ0सा01 शादी के बाद उसके पति ने कुछ समय तक उसे अच्छे से रखा उसके बाद उसकी सास ने उसे ताने देना शुरू कर दिये। इस बात से इंकार किया कि उक्त लोग उसे खाने पिये और पहनने के लिये परेशान करने लगे। इस बात से इंकार किया कि उसने अपनी मम्मी को उक्त बातें बताई थी तो उन्होंने कहा वह समझा देगी, परन्तु वे लोग नहीं माने। इस बात से इंकार किया कि उक्त दोनों लोग उससे कहने लगे कि मोटरसाईकिल, सोफा लेकर आओ तो उसने कहा उसके मम्मी पापा की हैसियत नहीं है। इस बात से इंकार किया कि इसी बात पर उसके पति ने उसे गरम फुकनी से उसे मारा और उसकी सास ने डण्डे से मारा जिससे उसे हाथ पैर में मुंदा चोट आई। साक्षी को उसकी पुलिस रिपोर्ट प्र.पी. 1 पुलिस कथन प्र.पी. 3 का ए से ए भाग पढ़कर सुनाये जाने पर साक्षी ने उक्त रिपोर्ट और कथन पुलिस को न देना व्यक्त किया, पुलिस ने कैसे लेखबद्ध कर लिया उसका कारण नहीं बता सकती। इस बात को स्वीकार किया कि उसका आरोपीगण से स्वेच्छया राजीनामा हो गया है। अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया कि राजीनामा हो जाने के कारण वह न्यायालय में असत्य कथन कर रही है। फरियादी रानी साहू अ0सा01 ने उसके प्रतिपरीक्षण में बताया कि वह वर्तमान में अपने पति प्रदीप के साथ ग्राम लुधाया में रह रही है और इस बात को भी प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया कि उसके पति प्रदीप और सास ब्रह्मा ने उससे कभी भी दहेज में मोटरसाईकिल व सोफा की मांग की और न ही उसे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया।

08— अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षी शिवानी अ0सा02, रामवती अ0सा03 ने उनके न्यायालयीन कथनों में बताया कि वह आरोपीगण को जानती है। रानी एवं आरोपीगण की आपस में कहा सुनी हो गई थी। इसके अलावा आरोपीगण ने रानी से सोफा और मोटरसाईकिल लाने को नहीं कहा। अभियोजन अधिकारी द्वारा उक्त साक्षीगण से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उन्होंने इस बात से इंकार किया कि आरोपीगण रानी से दहेज में सोफा-सेट व मोटरसाईकिल मांगते थे।

09— प्रकरण में रानी अ0सा01 जोकि प्रकरण में स्वयं फरियादिया है ने अभियोजन घटना का लेसमात्र भी समर्थन नहीं किया है बल्कि अपने न्यायालयीन कथनों में व्यक्त किया कि आरोपीगण से उसकी खाना बनाने को लेकर कहा सुनी हो गई थी, जिसकी रिपोर्ट उसने थाना चंदेरी में की थी। इसके अलावा फरियादी की मां रामवती अ0सा03 एवं बहन शिवानी अ0सा02 ने भी घटना का कोई समर्थन नहीं किया। अभियोजन अधिकारी द्वारा उक्त साक्षीगण से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने इस बात से इंकार किया कि आरोपीगण उससे दहेज में सोफा-सेट और मोटरसाईकिल के लिये उसे मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया करते थे।

10— उपरोक्त संपूर्ण विश्लेषण में आई साक्ष्य से अभियोजन अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपो को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। कि घटना

दिनांक 07.06.2015 को समय करीब 7-8 बजे थाना चंदेरी अंतर्गत ग्राम लुधाया में फरियादी रानी को उसकी शादी के 2 महीने बाद से उसके पति या पति के नातेदार होते हुये फरियादी से दहेज में मोटरसाईकिल व सोफा-सेट की मांग करके उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर कूरता कारित की। अतः अभियुक्तगण प्रदीप, ब्रह्माबाई को भा.द.वि. की धारा 498ए के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

11- अभियुक्तगण द्वारा निरोध में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द0प्र0स0 का प्रमाण पत्र बनाया जाकर प्रकरण में संलग्न किया जावे।

12- प्रकरण के निराकरण हेतु कोई मुद्देमाल विद्यमान नहीं है।

13- अभियुक्तगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित कर
हस्ताक्षरित, दिनांकित किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

साजिद मोहम्मद
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी, जिला अशोकनगर म0प्र0

साजिद मोहम्मद
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी, जिला अशोकनगर म0प्र0